स्वास्थ्य प्रमाणपत्र

यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात हेतु बने मत्स्य उत्पादों के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

1. यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने वाले भारतीय मत्स्य उत्पादों के सभी परेषणों में एक एकल पत्र , जिसमें हस्ताक्षर और दिनांक हो, पूरी तरह से भरी हो, के साथ संख्यायुक्त मूल स्वास्थ्य प्रमाणमत्र साथ लगा होना चाहिए। मूल स्वास्थ्य प्रमाणपत्र गंतव्य पर कस्टम समाशोधन के लिए आवश्यक होता है और यह परेषण आने से पहले गंतव्य कस्टम अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। परेषण मूल की प्रति अथवा फैक्स प्रति के आधार पर समाशोधित नहीं किया जा सकता है। स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जहाज पर भेजने के पूर्व दिया जए और यह पिछली तिथि से नहीं दिया जा सकता है।
2. चूंकि यूरोपीय आयोग द्वारा भारत में वाणिज्य मंत्रालय की भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद को निर्देश सं. 91/993/ई ई सी की आवश्यकताओं के अनुसार मत्स्य और जलकृषि उत्पादों के सत्यापन और प्रमाणन के पालन के लिए सक्षम प्राधिकरण के रूप में चुना है, सभी यूरोपीय संघ से अनुमोदित एफ और एफ पी प्रतिष्ठानों को केवल सक्षम प्राधिकरण (ई आई सी/ई आई ए) से स्वास्थ्य प्रमाण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है।
3. केवल निर्यात निरीक्षण अभिकरण के अधिकारी ही ई सी को मत्स्य उत्पादों के निर्यातों के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हैं। निर्देशानुसार यह स्पष्ट है कि यदि यह पाया जाता है कि एक प्रतिष्ठान ने सक्षम प्राधिकारी के बजाय किसी अन्य प्राधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, तो ई यू को निर्यात के लिए उनकी इकाइयों को दिया गया अनुमोदन इसके बाद वापस ले लिया जाएगा।
4. प्रक्रियाः

4.1 स्वास्थ्य प्रमाण पत्र केवल ई आई ए द्वारा अनुमोदित और निगरानी वाले प्रतिष्ठानों/फैक्टरी पात्रों में प्रसंसाधित मत्स्य उत्पादों के लिए जारी किया जाएगा।

4.2 प्रसंसाधक/निर्यातक संबंधित ई आई ए/ उप कार्यालय से निम्न के साथ सभी आवश्यक जानकारी निर्दिष्ट आवेदन प्रपत्र में देकर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध करेगा :

क) प्रति प्रमाण पत्र 10 रू. का शुल्क

ख) अनुमोदित प्रसंसाधक द्वारा जारी परेषण से संबंधित निर्यात के लिए प्रमाण पत्र (जिसके लिए वैधता, जारी होने की तिथि से 15 दिनों तक है) की गुलाबी प्रति।

4.3 ई आई ए के स्थानीय कार्यालय/उप–कार्यालय द्वारा स्वयं की संतुष्टि के बाद प्रसंसाधक/निर्यातक को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा कि मत्स्य उत्पादों को अनुमोदित प्रतिष्ठानों, फैक्टरी पात्रों में प्रसंसाधित किया गया है जिनकी वैध अनुमोदन संख्या है और संगत आवश्यकताएं जैसे कि प्रत्येक नियंत्रण इकाई (उत्पादन कोड) की परीक्षा ऑर्गेनोलेप्टिक तथा जीवाण्विक कारकों की इकाई द्वारा की गई है और परीक्षण के अभिलेख रखे गए हैं। यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए बने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की तीन प्रतियां बनाई जाएंगी, मूल प्रति निर्यातक के लिए, आयातक के लिए अग्रेषण और ई आई ए मुख्यालय के लिए गुलाबी प्रति तथा जारी करने वाले संबंधित कार्यालय के अभिलेख हेतु नीली प्रति रखी जाएगी।

4.4 प्रत्येक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में ई आई सी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर और अन्य सीलों (मुद्राओं) से अलग रंग की ई आई सी की सरकारी मुद्रा होगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करते समय जारी करने वाले अधिकरी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हस्ताक्षर का रंग प्रमाण पत्र के मुद्रण के रंग से अलग है। हस्ताक्षर काले रंग में नहीं होने चाहिए। हस्ताक्षर मूल प्रमाण पत्र पर हरे या लाल रंग में किए जाएंगे। प्रमाण पत्र की प्रतियों में हस्ताक्षर के कार्बन उभार होंगे।

4.5 निर्धारित प्रपत्र में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनुमोदित प्रतिष्ठान/फैक्टरी पात्र को जारी किया जाएगा। आपूर्त किए जाने वाले बहुभाषी रिक्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 4 प्रकार की भाषाओं के संयोजन में हैं और ये नीचे दर्शाये अनुसार देशों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं।

भाषा संयोजन	जिन देशों में उपयोग किया जा सकता है
अंग्रेजी/इटालियन/फ्रेंच	ब्रिटेन, फ्रान्स, इटली, लक्सेमबर्ग, बेल्जियम, आयरलैण्ड
अंग्रेजी/स्वीडिश/डेनिश/फिनिश	ब्रिटेन,स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैण्ड
अंग्रेजी/जर्मन/ डच	ब्रिटेन,जर्मनी, नीदरलैण्ड,आंस्ट्रिया
अंग्रेजी/स्पेनिश/ग्रीक/पुर्तगाली	ब्रिटेन,स्पेन, ग्रीस, पुर्तगाल

4.5.1 स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एक प्रपत्र में जारी किया जाएगा, जिसमें गंतव्य/बंदरगाह/देश की भाषा होगी। यद्यपि, इसमें प्रविष्टियां अंग्रेजी में की जाएंगी।

भेजने वाला देश	भारतीय गणतंत्र (मुद्रित)
सक्षम प्राधिकारी	भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

4.5.2 स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की संदर्भ संख्याः चूंकि भारत से जारी दो प्रमाण पत्रों की संख्या एक समान नहीं होनी चाहिए, नीचे दी गई प्रणाली को संदर्भ संख्या देने के लिए अपनाया जाएगा प्रत्येक उप–कार्यालय द्वारा जारी प्रत्येक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए एक क्रम संख्या दी जाएगी जो अभिकरण/उप कार्यालय कोडों द्वारा पूर्व निर्धारित होगी। उदाहरण के लिएः

उप कार्यालयः

थोप्पुम्पैडी (निरी.)	सी एन/टी वाय
क्विलोन	सी एन/क्ययू
अलैप्पी	सी एन/ए वाय
कालीकट	सी एन/एम एन
मैंगलोर	सी एन/एम एन
करवार	सी एन/ के आर

उदाहरण के लिए उप कार्यालयः थोप्पुम्पैडी की संदर्भ संख्या होंगी सी एन/टी वाय/1, सी एन/टी वाय/2
टिप्पणीः कोई अनुलग्नक, जैसे कि विश्लेषण के परिणामों पर भी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के समान संदर्भ संख्या होंगी। अन्य अभिकरण भी उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करेंगे।

4.5.3 प्रजाति (वैज्ञानिक नाम):

वैज्ञानिक नाम दें। यदि सही नाम जैसे कि पैनकस इंडिकस, मैटापैनकस एफिनिस, मेक्रोब्रेकीयम रोर्सबरगी आदि पता हो तो लिखे। यदि प्रजाति के नाम में कोई शंका हो तो परिवार का नाम जैसे कि पैनियस स्पी., पैलियोमोनिडी स्पी., लोलिगो स्पी. आदि लिखें।

4.5.4 उत्पाद का प्रस्तुतिकरण और उपचार का प्रकारः हिमीकृत मत्सय उत्पादों के मामले में जो भी उचित शब्द हो, ''हिमीकृत उत्पाद'', ''प्रसंसाधित'' दिया जाए। हिमीकृत छिले हुए – अनडिवीन्ड/हिमीकृत छिले हुए और डिवीन्ड/हिमीकृत शीर्ष रहित खोलयुक्त/हिमीकृत पक्के हुए और छिले हुए श्रिम्प आदि लिखा जा सकता है।

ताजी/ठंडी मछलियों के मामले में	ठंडी ताजी मछली
पैकेजिंग का प्रकार	पैकेजिंग का प्रकार सूचित करें, जैसे कि लहरदार फाइबर बार्ड मास्टर कार्टन
पैकेज की संख्या	.... कार्टन (10 X 2 किलो ग्राम प्रति कार्टन)

नेट भार	किलोग्राम में भार लिखें

4.5.5 भंडारण और परिवहन के दौरान आवश्यक तापमानः हिमीकृत मत्स्य उत्पादों के लिये लिखें – 18 डिग्री से. या कम ठंडी ताजी मछली के लिए, 0 डिग्री से. से 4.0 डिग्री से.।

4.5.6 उत्पादों की उत्पत्तिः प्रसंसाधक प्रतिष्ठानों/हिमीकारक पात्र/फैक्टरी पात्र के नाम और पते तथा अनुमोदन संख्या दें।

4.5.7 उत्पादों का गंतव्यः

भेजने का स्थान	जहाज पर रखने का बंदगाह दर्शाएं, जैसे कि कोचीन, न्यू मैंगलोर आदि।
गंतव्य देश और स्थान	गंतव्य देश/स्थान दर्शाएं जैसे कि नीदरलैंडज़्/रॉटरडैंम।
परिवहन का माध्यम	दर्शाए ''प्रति पात्र समुद्र ....'' पात्र का नाम या ''हवाई जहाज संख्या ....'' द्वारा।
भेजने वाले का नाम और पता	वास्तविक निर्यातक का नाम और पता दर्शाएं, निर्यातक प्रसंसाधक से अलग हो सकता है।
परेषक का नाम और पता	यहां आयातक या उसके नामित व्यक्ति का नाम और पता लिखें जो गंतव्य स्थान के बंदगाह पर परेषण प्राप्त करता है।
जारी करने की तिथि	जारी करने की तिथि बिल पुस्तिका के अनुसार वास्तविक लदान की तिथि से आगे की नहीं हो सकती।
शासकीय निरीक्षक के हस्ताक्षर	हस्ताक्षर प्रमाणपत्र की छपाई के रंग से अलग होने चाहिए। हस्ताक्षर के लिए लाल या हरे रंग की सिफारिश की जाती है।
बड़े अक्षरों में नाम, क्षमता और योग्यताएं	अधिकारी का नाम, योग्यताएं जैसे कि बी.एस.सी, एम.एस. सी, डी.एफ.पी.टी. आदि और सरकारी पद टाईप किया जाए। प्रमाणपत्र में नीचे ई.आई.सी. की सील लगाई जाए।

टिप्पणीः स्वास्थ्य प्रमाणपत्र को प्रतिष्ठान द्वारा वास्तविक मात्राओं के उत्पादन/प्रसंसाधन तक सीमित रखा जाएगा। किसी भी मामले में, जैसा कि आई.डी.पी. द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, उत्पादन क्षमता से अधिक मात्रा को प्रमाणित नहीं किया जाएगा।